MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

F. No. 27(98)/2016-IPHW

New Delhi, 30.01.2017

NOTIFICATION

Subject: Amendments to Revised Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) - Notification

References:

1. Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) Policy Gazette Notification vide no. 175 dated 27-07-2012.

2. Guidelines for Modified Special Incentive Package Scheme vide no. 27(3)/2012-IPHW dated 07-10-2012 and Amendment dated 23-05-2013 & 23-12-2013.

3. Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS): Enhancement of Scope and extension of timeline and other amendments – Revised Notification vide no. 211 dated 03-08-2015.

4. Guidelines for effective functioning of revised Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) vide no. 27(3)/2012-IPHW (Vol. II) dated 24-02-2016.

The policy for Modified Special Incentive Package Scheme (Modified-SIPS) cited as reference (1) above was notified in the Gazette on July 27th, 2012. The implementation guidelines cited as reference (2) above have also been published. Amendments to the M-SIPS Policy cited as reference (3) above were notified in the Gazette on 3rd August 2015 and necessary guidelines for implementation of these amendments cited as reference (4) above have also been published.

2. While Revised M-SIPS has been able to enthuse investment in electronics, the proposed investments are still short of intended target. It is, therefore, important to continue the applicability of M-SIPS for few more years. However, efforts need to be made to expedite investment into the sector to achieve the target of 'Net Zero Imports'.

3. The following amendments in Revised M-SIPS policy are applicable with immediate effect. All other provisions remain unchanged.

4. **Time period for applying under M-SIPS**:

Applications under the Scheme will be received till 31st December 2018 or till such time that the incentive commitment reaches Rs. 10,000 crore, whichever is earlier. In case, the incentive commitment of Rs. 10,000 crore is reached prior to 31st March 2018, a review to be undertaken by CEO NITI Aayog to decide on the need for further continuation of the Scheme.

5 **Process**

5.1 The incentives under the Scheme will be available for a period of 5 years from the date of approval of the application under M-SIPS i.e. incentives will be available for investments made within 5 years from the date of approval. However, this will be applicable for new applications only which are received after the issuance of this notification.

5.2 After receiving incentives under the scheme, the unit will have to provide an undertaking to remain in commercial production for a period of at least 3 years.

5.3 The Appraisal Committee recommending approval of project will be chaired by Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology.

5.4 A separate Committee headed by Cabinet Secretary and comprising of CEO, NITI Aayog, Secretary Expenditure and Secretary, MeitY will be set up in respect of mega projects, envisaging more than Rs. 6,850 crore (approx. USD 1 Billion) investment on a case to case basis.

5.5 Approvals will normally be accorded to eligible applications within 120 days of submission of the complete application.

6. For effective functioning of the revisions in the M-SIPS policy, a set of Guidelines will be issued by Ministry of Electronics and Information Technology separately.

30.1.2017

(Rajiv Bansal)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 24363114

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सं. 27(98)/2016-आईपीएचडब्ल्यू

नई दिल्ली 30.01.2017

अधिसूचना

विषय : संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) में संशोधन- अधिसूचना

संदर्भ:

1. दिनांक 27-07-2012 की राजपत्र अधिसूचना सं.175 के अंतर्गत अधिसूचित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) ।

2. दिनांक 07-10-2012 की अधिसूचना सं. 27(3)/ 2012-आईपीएचडब्ल्यू के अंतर्गत संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के लिए दिशानिर्देश और उनमें दिनांक 23-05- 2013 एवं 23-12-2013 को किए गए संशोधन ।

3. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स): कार्यक्षेत्र में विस्तार और समय-सीमा बढ़ाना तथा अन्य संशोधन दिनांक 03-08-2015 की संशोधित अधिसूचना सं. 211 ।

4. दिनांक 24-02-2016 की अधिसूचना सं 27(3)/2012- आईपीएचडब्ल्यू (वॉल्यूम - ।।) संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश।

उपर्युक्त संदर्भ सं. (1) में उल्लिखित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) को 27 जुलाई, 2012 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया । उपर्युक्त संदर्भ सं. (2) में उल्लिखित कार्यान्वयन दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए गए हैं । उपर्युक्त संदर्भ सं. (3) में उल्लिखित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) में किए गए संशोधनों को 10 अगस्त 2015 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया और उपर्युक्त संदर्भ सं. (4) में उल्लिखित इन संशोधनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए जा चुके हैं ।

2. जहां एक ओर संशोधित एम-सिप इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में निवेश को उत्साहित करने में सक्षम रही है, वहीं दूसरी और प्रस्तावित निवेश अभी भी इच्छित लक्ष्य से कम है । अत: यह महत्वपूर्ण है कि एम-सिप की प्रयोज्यता कुछ और साल के लिए जारी रखी जाए । हालांकि, 'नेट शून्य

राजीव कंसल

आयात' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु प्रयस किए जाने की जरूरत है।

3. संशोधित एम-सिप नीति में निम्नलिखित संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू हैं। अन्य प्रावधान यथावत हैं।

4. एम-सिप्स के अंतर्गत आवेदन करने के लिए समयावधि:

योजना के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2018 अथवा उस समयावधि, जब तक प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता 10,000 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंच जाती है, जो भी पहले हो, तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। यदि 31.3.2018 से पहले ही प्रोत्साहन की प्रतिबद्धता 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है, तो योजना के आगे जारी रखने के लिए आवश्यकता के आधार पर और वित्तीय प्रतिबद्धताओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए सीईओ, नीति आयोग द्वारा एक समीक्षा की जाएगी।

5. प्रक्रिया

5.1 योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन एम-सिप्स के अंतर्गत आवेदन के अनुमोदन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगा अर्थात प्रोत्साहन अनुमोदन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर किए गए निवेश के लिए उपलब्ध होंगे। तथापि यह केवल ऐसे नए आवेदनों के लिए लागू होगी, जो इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्राप्त होते हैं।

5.2 योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली कोई यूनिट कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए वाणिज्यिक उत्पादन जारी रखने की वचनबद्धता उपलब्ध कराएगी।

5.3 परियोजना के अनुमोदन की सिफारिश करने वाली मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

5.4 मामला-दर-मामला आधार पर 6,850 करोड़ रुपए (अनुमानत: 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक निवेश वाली बड़ी परियोजनाओं के संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में

राजीव बंसल

एक अलग समिति गठित की जाएगी, जिसमें सीईओ, नीति आयोग, सचिव, व्यय विभाग और सचिव, एमईआईटीवाई भी शामिल होंगे।

5.5 पात्र आवेदनों के लिए सामान्यतया अनुमोदन पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 120 दिन के भीतर दिया जाएगा।

6. एम-सिप्स नीति में संशोधनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिशानिर्देशों का एक अलग सेट जारी किया जाए।

राजीव बंसल
20.1.2017

(राजीव बंसल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 24363114